

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,
झारखण्ड, राँची।

/राँची, दिनांक - 04/03/23

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना व्यय बजट शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-53-जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अन्तर्गत विद्युत इकाई में कुल रूपये 6,32,011.00 (छः लाख बत्तीस हजार ग्यारह मात्र) का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना व्यय बजट शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-53-जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अन्तर्गत वेतनादि विभिन्न ईकाईयों में वित्त विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक-245/बजट, दिनांक 30.03.2022 के द्वारा रूपये 16,58,50,000.00 (सोलह करोड़ अठावन लाख पचास हजार मात्र) के बजटीय उपबंध के व्यय की अनुमति प्रदान की गई है। द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से 37-विद्युत व्यय मद में रूपये 40.00 लाख मात्र का बजटीय उपबंध को वित्त विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक-692/बजट, दिनांक 27.12.2022 द्वारा राशि के व्यय की अनुमति प्रदान की गई है।

2. झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पत्रांक 86, दिनांक 28.02.2023 के द्वारा रूपये 6,32,011/- की मांग की गई है। उपरोक्त अधियाचना के आलोक में उपबंधित/द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि में से 37-विद्युत व्यय मद में रूपये 6,32,011.00 (छः लाख बत्तीस हजार ग्यारह मात्र) का आवंटन प्रदान किया जाता है, जिसकी ऑनलाईन आवंटन की हार्ड कॉपी प्रति संलग्न की जाती है।

3. आवंटित राशि की निकासी स्थापना व्यय बजट शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-53-जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अन्तर्गत उपरोक्त विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय में मुद्रित एवं उपबंधित राशि से की जायेगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

4. इकाईवार आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाय।


5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या - 2561/वि0(2), दिनांक 17.04.1998 तथा पत्रांक 1800, दिनांक 15.07.2003 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में राशि की निकासी की जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का सख्ती से अनुपालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक में किसी भी परिस्थिति में नहीं रखा जाय। व्यय के पश्चात् अवशेष राशि का ऑनलाईन प्रत्यापन 25 मार्च 2023 तक कर दिया जाय।

7. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5 तारीख तक विभाग को भेजा जाय। साथ ही व्यय की गई राशि का सत्यापन महालेखागार, झारखण्ड, राँची से करायी जाय।


अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,


5/3/23
(हिमानी पाण्डे),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- खा०प्र०-04-स्था०व्यय (उप०फो०)-40/2021 - 749 / राँची, दिनांक - 04/03/23
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/प्रभारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5/3/23
सरकार के प्रधान सचिव।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 40/21-FORUM11-C/479

दिनांक - 04-Mar-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 18 34560000153000337 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 001 - निदेशन तथा प्रशासन 53 - जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	89126	DRNFPD001 NARESH PRASAD KEWAT REGISTRAR JSCDRC	632,011.00 रुपये छः लाख बत्तीस हजार ग्यारह



37 - विद्युत व्यय

योग:

रुपये छः लाख बत्तीस हजार ग्यारह

632,011.00

क्रमिक योग:

(HIMANI PRADY)
PRINCIPAL SECRETARY